भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 206*

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के लिए टूलकिट

***206. डॉ. मल्लू रवि:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागरिक सहभागिता के माध्यम से शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने और तीसरे पक्ष से सत्यापन के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण के नौवें संस्करण हेतु एक नया टूलकिट आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो टूलकिट की प्रमुख विशेषताओं और शहरी स्वच्छता पर इसके संभावित प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के लिए टूलकिट" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 206 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 17 जनवरी, 2025 को स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए 'रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल' थीम वाला टूलकिट शुरू किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों को नियमित रूप से अपनी मासिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को अपडेट करना होगा, जिसे तीसरे पक्ष के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा अंतिम रैंकिंग निर्धारित करने से पहले नागरिक फीडबैक के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। टूलकिट शुरू होने के बाद, 15 फरवरी, 2025 को फील्ड मूल्यांकन शुरू हो गया है।

9वें संस्करण में दिखाई देने वाली स्वच्छता, अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन, अपशिष्ट प्रसंस्करण, लैंडफिल प्रबंधन, डंपसाइट सुधार, अपशिष्ट जल शोधन, पुनः उपयोग और मल कीचड़ प्रबंधन जैसे मापदंडों पर जोर दिया गया है। इस संस्करण में निम्नलिखित नई विशेषताएं शामिल की गई हैं:

1. जनसंख्या के आधार पर शहरों के मूल्यांकन के लिए संकेतकों का अलग मैट्रिक्स – रैंकिंग के लिए शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

बहुत छोटे शहर	छोटे शहर	मझोले शहर	बड़े शहर	दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर
< 20,000	20,000 <50,000	50,000 < 3 लाख	3 लाख < 10 लाख	10 लाख या उससे अधिक

2. 10 खंडों में सरलीकृत संकेतक- स्वच्छ सर्वेक्षण, 2024 के अंतर्गत स्कोरिंग को 10 खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली स्वच्छता (15%), अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन (10%), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (15%), स्वच्छता तक पहुंच (10%), प्रयुक्त जल प्रबंधन (10%), मल निकासी सेवाओं का मशीनीकरण (5%), स्वच्छता के लिए समर्थन (15%), पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना और संस्थागत मानदंड (10%), स्वच्छता कामगारों का समग्र कल्याण (5%) और नागरिक प्रतिक्रिया और शिकायत निपटान (5%)

3. "सुपर स्वच्छ लीग" की शुरुआत - सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत असाधारण कार्य-निष्पादन दर्शाने वाले शहरों को मान्यता देने के लिए की गई है। अपनी पिछली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग (एसएस21, एसएस22 और एसएस23) के आधार पर वे चालू वर्ष के लिए इस लीग का हिस्सा बन गए हैं। उनका मूल्यांकन स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल मापदंडों के अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।

4. परियोजना शुरू करने, सीटीयू परिवर्तन के शुरू किए गए नए संकेतक - एसबीएम के तहत सभी स्वीकृत परियोजनाओं की मैपिंग के लिए शहरी स्थानीय निकायों के अनुपालन का मूल्यांकन करना और स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान पहचानी गई और सुधारी गई स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) का कचरा हॉटस्पॉट और लावारिस कचरे से मुक्त रहना तथा स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखना।

5. पर्यटकों और अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर विशेष ध्यान – शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यटक आकर्षण, स्मारक और पार्क, स्ट्रीट फूड जोन, वेंडिंग जोन जैसे अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों की स्वच्छता और उनका उचित रखरखाव सुनिश्चित करना।

6. स्कूल स्तर पर मूल्यांकन की शुरूआत - देश में पीढ़ीगत बदलाव लाने के लिए विद्यार्थियों में बचपन से ही स्वच्छता रखने की आदत डालना।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के सभी संकेतकों के संबंध में स्कोरिंग और सत्यापन मैट्रिक्स से संबंधित विस्तृत विवरण वाली स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 टूलकिट https://sbmurban.org पर उपलब्ध है।

*****